न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 807/2017

1. प्रभाती पत्नि जगन्नाथ
2. सरदार पुत्र जगन्नाथ
3. गीता देवी पत्नि बाबूलाल
4. अरूण कुमार पुत्र बाबूलाल
5. पवन कुमार पुत्र बाबूलाल
6. निशा पुत्री बाबूलाल
7. मंजू पुत्री बाबूलाल
   समस्त नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गीता देवी पत्नि बाबूलाल
8. सोहन पुत्र जगन्नाथ
9. मोहन पुत्र जगन्नाथ
10. कजोड पुत्र जगन्नाथ
    समस्त जाति मीणा, निवासीयानः मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र नानगराम
2. ओमप्रकाश पुत्र नानगराम
   समस्त जाति मीणा, निवासीयानः मकान नंबर 2/223, विद्याधर नगर, जयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जिला जयपुर वाद सं. 190/2014 उनवानी प्रहलाद बनाम प्रभाती व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितः

श्री अरविन्द कुमार पारीक एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री लालचन्द जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 1
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

एवम्

अपील संख्या : 845/2017

1. प्रभाती पत्नि जगन्नाथ
2. सरदार पुत्र जगन्नाथ
3. गीता देवी पत्नि बाबूलाल
4. अरूण कुमार पुत्र बाबूलाल
5. पवन कुमार पुत्र बाबूलाल
6. निशा पुत्री बाबूलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

7. मंजू पुत्री बाबूलाल
समस्त नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गीता देवी पत्नि बाबूलाल
8. सोहन पुत्र जगन्नाथ
9. मोहन पुत्र जगन्नाथ
10. कजोड पुत्र जगन्नाथ
समस्त जाति मीणा, निवासीयानः मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र नानगराम
2. ओमप्रकाश पुत्र नानगराम
समस्त जाति मीणा, निवासीयानः मकान नंबर 2/223, विद्याधर नगर, जयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.09.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जिला जयपुर वाद सं. 190/2014 उनवानी प्रहलाद बनाम प्रभाती व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

उपस्थितः
श्री अरविन्द कुमार पारीक एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री लालचन्द जाट एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 1
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 02/12/2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.06.2017 एवं एक अन्य अपील निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 14.09.2017 वाद संख्या 190/2014 उनवानी प्रहलाद बनाम प्रभाती व अन्य न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जिला जयपुर के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नंबर 157 रकबा 0.26 हैक्टेयर ग्राम मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त भूमि के वादीगण संख्या 1 व 2 सहखातेदार है जिसमे वादीगण संख्या 1 व 2 का 958/3200 हक व हिस्सा निहित है तथा वादीगण अपने उक्त हिस्से की भूमि पर काबिज व काश्त होकर निर्वधन रूप से कृषि कार्य कर उपज का लाभ प्राप्त करते आ रहे है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 का है। भूमि विवादग्रस्त का पक्षकारान ने आपसी सहमति से बाहमी विभाजन कर रखा है तथा बाहमी विभाजन अनुसार ही पक्षकारान अपने अपने हिस्से की प्राप्त भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा बाहमी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

बंटवारा में प्राप्त भूमि पर सुधार कार्य करके, लेवलिंग इत्यादि कर कृषि योग्य बना रखी है तथा वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण ने बाउण्डी बना रखी है तथा प्रतिवादीगण भी मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि पर काबिज है। विवादग्रस्त भूमि को समस्त सहखातेदारान ने आपसी सहमति से मौखिक विभाजन तो कर रखा है तथा मौखिक विभाजन के अनुसार ही समस्त सहखातेदारान भूमि का उपयोग उपभाग भी करते आ रहे है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में भूमि शामलाती दर्ज होने के कारण वादीगण को आये दिन अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लग गई है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भूमि शामलाती दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण भी वादीगण को आये दिन हैरान व परेशान करने लग गये है जिस कारण से वादीगण को मान्य न्यायालय के समक्ष भूमि का विभाजन व निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी हो गया है। जयपुर के आस पास के क्षेत्रों में भूमियों के अचानक भाव बढ जाने के कारण प्रतिवादीगण की नियत में खोट उत्पन्न हो गया है तथा वे अब भूमि विवादग्रस्त जो कि राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती भूमि दर्ज है, को राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खाते में दर्ज होने के कारण ऐन केन प्रकारेण वादीगण को बेदखल कर भूमाफिया गिरोह का भूमि पर नाजायज कॉलोनी बसाने के लिये विक्रय करने की धमकियां देने लग गये है जिससे वादीगण का अब भूमि विवादग्रस्त पर कृषि कार्य करना मुश्किल होता जा रहा है जिससे वादीगण को अपने हक व अधिकारों के रक्षार्थ भूमि विवादग्रस्त में वादीगण संख्या 1 व 2 के अपने दर्ज हिस्से 958/3200 की भूमि जिसका वादीगण ने आपसी सहमति से बाहमी विभाजन कर रखा है, का विभाजन करवाना आवश्यक हो गया है। अभी कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 कुछ अन्य लोगो जो कि अपने आपको बडे प्रोपर्टी डीलर बता रहे थे, के साथ आये तथा वे आपस में संपूर्ण भूमि पर जबरन कब्जा कर नाजायज कॉलोनी बसाये जाने की वार्तालाप कर रहे थे जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को भूमि वादग्रस्त का राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन करवा कर ही अन्य कार्यवाही करने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण व उनके साथ आये हुये व्यक्तियों ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हे तुम्हारे हक व हिस्से की भूमि जो तुम्हे बाहमी विभाजन में प्राप्त है, पर से जबरन बेदखल कर भूमि पर कॉलोनी बसा कर रही रहेगे तथा तुम्हे जो करना हो कर सकते हो, प्रतिवादीगण के उक्त कृत्यों के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है जिससे वादीगण को अपने हक व अधिकारों के रक्षार्थ मान्य न्यायालय के समक्ष यह वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर विभाजन करवाना आवश्यक हो गया है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 157 रकबा 0.26 हैक्टेयर वाके ग्राम मोठू का बास, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है, में वादीगण संख्या 1 व 2 के 958/3200 हिस्से की भूमि जिसे वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है, को वादीगण के हिस्से में दी जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खाता कायम किया जाकर लगान सरकारी अलग–अलग निर्धारित किया जावे तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में रहन दी जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा उपयोग उपभोग में कोई दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं करे, भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे व नहीं भूमि का कृषि से अकृषि में प्रयोग कर भूमि पर नाजायज रूप से निर्माण कार्य पर नाजायज कॉलोनी ही बसावे तथा मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे एवं प्रतिवादी संख्या 11 को भी पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि का विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

होने तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादीगण उपरोक्त सभी कार्य न तो स्वयं करे न अन्य किसी दीगर व्यक्ति एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन वाद बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार दिनांक 21.06.2017 को प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार आमेर को कुरैजात प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। जिस पर तहसीलदार आमेर द्वारा कुरैजात प्रस्तुत किये गये। कुरैजात पर बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 14.09.2017 को वाद अंतिम डिक्री किया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये एवं कैम्प कोर्ट के नोटिस तामील करवाये ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। पटवारी द्वारा जो कुरैजात बनाये गये है वह पक्षकारान की अनुपस्थिति में बनाये गये है। इन कुरैजात को बिना परीक्षण किये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 14.09.2017 पारित कर महान विधिक कानूनी त्रुटि की है। कुरैजात पक्षकारान के हिस्सेनुसार नहीं बनाये गये है साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के नियमानुसार विभाजन नहीं किया है। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अनावश्यक प्रकरण को लंबित रखने के लिये ही यह अपील प्रस्तुत की है यदि उन्हे कोई वास्तविक आपत्ति होती तो वह इस संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते थे। किन्तु फिर भी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिनुसार अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 14.09.2017 पारित की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

4. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 21.06.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 14.09.2017 को अंतिम डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा के माध्यम से दावे के कथनों का विर्निदिष्ट रूप से खंडन किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई। पत्रावली में साक्ष्य वादीगण पूर्ण हो चुकी थी जिसके पश्चात् पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत थी। जिस पर दिनांक 07.04.2017 को प्रतिवादीगण के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत हुये एवं तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 25.04.2017, 04.05.2017 एवं उसके उपरान्त दिनांक 22.06.2017 को प्रतिवादीगण की जिरह वास्ते नियत थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 22.06.2017 को पेश न होकर बिना प्रतिवादीगण को सूचित किये ही दिनांक 22.06.2017 से पूर्व ही दिनांक 21.06.2017 को अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान करे ही पेश हुई एवं दिनांक 21.06.2017 को ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

डिक्री कर दिया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित करते हुये एवं सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 13.09.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुति की देरी बाबत अपीलान्ट द्वारा अपील के मद संख्या 5 में बताया गया है कि नकल हेतु आवेदन दिनांक 19.07.2017 को किये जाने के पश्चात् राज्य कर्मचारियों की हडताल के कारण नकल प्राप्त नहीं हो सकी, अपीलान्ट द्वारा देरी बाबत दर्शाया गया उक्त कारण सही व सत्य हैं। परिसीमा अधिनियम की धारा 12 (2) में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय परिसीमा में से अपवर्जित कर दिया जायेगा। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुति में किसी प्रकार की कोई देरी कारित नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट है कि उक्त कुरैजात रिपोर्ट पर तहसीलदार के काउन्टर हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि उक्त कुरैजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर स्वयं के द्वारा तैयार नहीं किये गये है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री प्रक्रियात्मक त्रुटि एवं सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री भी खारिज योग्य पायी जाती है। इस कारण मेरे द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 21.06.2017 एवं अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 14.09.2017 खारिज किये जाते है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर, उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, तनकीवार निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान दिनांक 06.01.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित की जावे एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर